World Food Programme for various labour intensive works during the years 1985-86 and 1986-87;

(b) the quantum of assistance given by way of foodgrains, pulses, vegetable oils to different States during the same period; and

(c) the assistance given to Orissa and whether the same has been utilised during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Bihar, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh have availed of foodgrain assistance under World Food Programme for various labour intensive works during 1985-86 and 1986-87 (till November 1986):

(b) and (c) Two Statements are annexed. [*See* Appendix CXL, Annexure No. 67]

Priority list for change in Type 'D' quarters in DIZ area

1700. SHRI RAM CHANDRA VIKAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government maintain a priority list for effecting change of 'D' (IV) type quarters;

(b) if so, what is the date of priority of the last allottee who has been allotted a change in Type IV in DIZ area;

(c) whether it is a fact that persons whose year of priority for Type IV is 1956 and whose applications for change in D.I.Z. Area are pending with the Estate Office have not so far been allowed the change while persons with much later date of proirity have been allotted accommodation in this area;

(d) if so, what are the reasons therefor; and

(e) by when the persons mentioned in part (c) above are likely to be covered?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The S. No. of the inturn change waiting list of the last allottee who has been allotted a change in Type-D in DIZ Area is 7585 and his date of priority is 8-2-56.

(c) to (e) As per provisions of SR 317-B-15 an Officer to whom a residence has been allotted can apply for a change to another residence of the same type. All applications for change made in the form prescribed by the Dte. of Estates and received up to the 19th day of the Calendar month are included in the waiting list in the succeeding month. For the purposes of this rule the Officers whose names are included in the waiting list in an earlier month are senior en block to those whose names are included in the list in subsequent month. The inter-se seniority of the officers included in the list in any particular month is determined in the order of their priority dates. The changes are offered in order of the seniority determined in the waiting list and with regard to the Officers' preference as far as possible.

दिल्ली में खाद्य निरीक्षकों के विरुद्ध शिकायतें

1701. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1984-86 से अब तक मण्डल संख्या 43, बह्मपुरी दिल्ली-110053 के निरीक्षकों के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में आयुक्त, खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग और मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन को ससद

सदस्यों, उपभोक्ताओं और उचित दर की दुकानों के वितरकों से अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा निरीक्षकों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली प्रशासन को 1984 से आज तक की अवधि के दौरान सर्किल संख्या 43 में कार्य कर रहे निरीक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं :—

	1984–85	1985–86	1986 (अप्रैल से आज तक)
प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या	3	2	13

(ख) शिकायतों का ब्यौरा तथा जिन निरीक्षकों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके नाम विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) 1984–85 के दौरान प्राप्त हुई तीन शिकायतों तथा 1985–86 के दौरान प्राप्त हुई दो शिकायतों को जांच के बाद फाइल कर दिया गया, क्योंकि आरोप प्रमाणित नहीं किए जा सके। अप्रैल, 86 से आज तक प्राप्त 13 शिकायतों में से 8 को जांच के बाद फाइल कर दिया गया, क्योंकि आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका। शेष 5 शिकायतों की जांच की जा रही है। दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच कार्य पूरा होने के बाद संबंधित निरीक्षकों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	शिकायत का स्वरूप	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)
	वर्ष 1984–85	
1	निरीक्षक के विरुद्ध 200 रुपये रिश्वत लेने की शिकायत	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया।
2	एक व्यक्ति को दो लाइसेंस देने की सिफारिश करने के संबंध में कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया।
3	कर्मचारियों/निरीक्षकों के विरुद्ध कदाचार की शिकायत	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया।
	वर्ष 1985–86	
1	श्री वी० के० सिंह और श्री बी० एस० शर्मा निरीक्षक के विरुद्ध जाली खाद्य कार्ड जारी करने और खाद्य तेलों के असमान वितरण के संबंध में शिकायत।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया।

(1)	(2)	(3)
2	श्री वी० के० सिंह और श्री एच० डी० मिश्र के विरुद्ध रिश्वत की मांग करने के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया ।
	वर्ष 1986-87 से अब तक	
1	निरीक्षकों के विरुद्ध उचित दर की दुकानों के बीच खाद्य तेल के वितरण के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद जा रही है ।
2	श्री ए० के० रस्तोगी, निरीक्षक के विरुद्ध खाद्य कार्ड जारी करने में कदाचार की शिकायत ।	जांच की जा रही है ।
3	सहायक निरीक्षक के विरुद्ध मिट्टी के तेल के डिपो के आवंटन में पक्षपात करने के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया ।
4	श्री ए० के० रस्तोगी, निरीक्षक के विरुद्ध मिट्टी के तेल के डिपो के आवंटन में अनियमितता बरतने के संबंध में शिकायत ।	जांच की जा रही है ।
5	श्री ए० के० रस्तोगी, निरीक्षक के विरुद्ध खाद्य कार्ड जारी न करने के संबंध में शिकायत ।	जाँच की जा रही है ।
6	सर्वश्री आर० एल० डोगरा,, वीड के० सिंह, और बी० एस० शर्मा, निरीक्षकों के विरुद्ध रिश्वत लेने के गैर कानूनी कृत्यों के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया ।
7	श्री बी० एस० शर्मा, निरीक्षक के विरुद्ध खाद्य तेल के अनुचित वितरण के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया ।
8	श्री सतपाल और वी० के० सिंह निरीक्षक के विरुद्ध रिश्वत के लिए, गैर कानूनी मांग और अभद्र व्यवहार करने के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया ।
9.	श्री ए० के० रस्तोगी, के विरुद्ध गैर कानूनी कार्यकलापों के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया ।
10	श्री ए० के० रस्तोगी के विरुद्ध अभद्रता करने के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया ।
11	श्री बी० के० सिंह व श्री सतपाल, निरीक्षकों के के विरुद्ध मिट्टी के तेल के डिपो के लिए, अनावश्यक अधिसूचना जारी करने के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया ।
12	श्री बी० के० सिंह और श्री ए० के० रस्तोगी के विरुद्ध नई उचित दर की दुकानों की अधिसूचना में बदनीयती बरतने के संबंध में शिकायत ।	जांच के बाद मामला फाइल कर दिया गया ।
13	श्री धनराज शाह, निरीक्षक के विरुद्ध रिश्वत की गैरकानूनी मांग करने और खाद्य कार्डों को असम्बद्ध करने के संबंध में शिकायत ।	जांच की जा रही है ।